भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1377
दिनांक 30 जुलाई, 2024/ 08 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

नए आपराधिक कानूनों की मुख्य विशेषताएं

†1377. श्री सी. एम. रमेशः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नए दंड कानून असूचित किए गए हैं और लागू हो गए हैं;

(ख) नए दंड कानूनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) अभियुक्त को जमानत देने से संबंधित उपबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नए आपराधिक कानून देश में जेलों में भीड़ को कम करने में किस हद तक मदद करते हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): भारतीय न्याय संहिता, 2023(बीएनएस) , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023और (बीएनएसएस) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023(बीएसए) को भारत के राजपत्र में 25 दिसम्बर, 2023 अधिसूचित किए गए। बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची में धारा 106 की उप-धारा (2) के प्रावधान और बीएनएस की धारा 106(2) से संबंधित प्रविष्टि के सिवाय भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गए हैं।

(ख): नए आपराधिक कानूनों की विशेषताएं अनुलग्नक-। में दी गई हैं।

(ग): जमानत और बॉन्ड से संबंधित प्रावधानों का विवरण बीएनएसएस की धारा 478 से 496 में निहित है।

(घ): जेलों में भीड़ को कम करने के लिए बीएनएस, 2023 और बीएनएसएस, 2023 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(i) बीएनएसएस की धारा 290 में प्ली बार्गेनिंग को समयबद्ध किया गया है और इस संबंध में आवेदन, आरोप तय होने की तारीख से 30 दिन के भीतर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बीएनएसएस की धारा 293 में यह प्रावधान है कि यदि आरोपी ने पहली बार अपराध किया है और उसे पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है, तो न्यायालय ऐसे आरोपी व्यक्ति को इस प्रकार के अपराध हेतु निर्धारित दंड के एक-चौथाई/ एक-छठवें भाग के दंड की सजा दे सकता है।

(ii) विचाराधीन कैदी को हवालात में रखने की अधिकतम अवधि का निर्धारण बीएनएसएस, 2023 की धारा 479 में किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने पहली बार अपराध किया है (जिसे पूर्व में किसी अपराध के लिए कभी भी दोषसिद्ध नहीं किया गया है), और यदि उसे उक्त कानून के तहत ऐसे अपराध के लिए निर्धारित कैद की अधिकतम अवधि की एक-तिहाई अवधि के लिए हवालात में रखा जा चुका है, तो उसे न्यायालय द्वारा बॉन्ड के तहत रिहा कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जेल अधीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करे।

(iii) पहली बार, सामुदायिक सेवा को बीएनएस, 2023 की धारा 4 में एक सजा के रूप में शामिल किया गया है।

******

<u>लोक सभा अता. प्र.सं. 1377 दिनांक 30.07.2024</u>

<u>अनुलग्नक-I</u>

<u>नए आपराधिक कानूनों की विशेषताएं</u>

भारतीय नागरिकों के सशक्तिकरण की दिशा में नए आपराधिक कानून एक महत्वपूर्ण पहल है। इन कानूनों का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अधिक सुगम, सहायक और प्रभावकारी न्याय प्रणाली तैयार करना है। व्यक्तिगत अधिकारों और सुरक्षा पर बल देने वाले इन नए आपराधिक कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं:

i. घटनाओं की रिपोर्ट ऑनलाइन करना: अब कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है और इसके लिए उसे पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे रिपोर्टिंग आसान और त्वरित हो जाती है, जिससे पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई सुकर हो जाती है।

ii. किसी भी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करना: जीरो एफआईआर की शुरुआत के साथ, कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन पर, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर सकता है। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म हो जाती है और अपराध की तुरंत रिपोर्ट करना सुनिश्चित होता है।

iii. एफआईआर की निःशुल्क प्रति: पीड़ितों को एफआईआर की निःशुल्क प्रति प्राप्त होगी, जिससे कानूनी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

iv. गिरफ्तारी के समय सूचना देने का अधिकार: गिरफ़्तारी की स्थिति में, व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल सहायता और सहयोग सुनिश्चित होगा।

v. गिरफ्तारी की जानकारी का प्रदर्शन: गिरफ्तारी का विवरण अब पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्रों को महत्वपूर्ण जानकारी तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी।

vi. फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रह और वीडियोग्राफी: मामले को मजबूत करने और जांच के लिए, फॉरेंसिक विशेषज्ञों के लिए गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थलों का दौरा करना और साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य हो गया है। इसके अतिरिक्त, साक्ष्यों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए अपराध स्थल पर साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जाएगी। यह दोहरा दृष्टिकोण जांच की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है और न्याय की निष्पक्ष प्रक्रिया में योगदान देता है।

vii. त्वरित जांच: नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी होना सुनिश्चित हो सके।

viii. पीड़ितों को प्रगति संबंधी अपडेट: पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामले की प्रगति के बारे में अपडेट प्राप्त करने का अधिकार है। यह प्रावधान पीड़ितों को सूचित रखता है और उन्हें कानूनी प्रक्रिया में शामिल करता है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है।

ix. पीड़ितों के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपचार: नए कानून सभी अस्पतालों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध के पीड़ितों को निःशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार की गारंटी देते हैं। यह प्रावधान चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पीड़ितों के स्वास्थ्य और रिकवरी को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक चिकित्सा देखभाल तक तत्काल पहुँच सुनिश्चित करता है।

x. इलेक्ट्रॉनिक समन: अब समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जा सकते हैं, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, कागजी कार्रवाई कम होगी और सभी संबंधित पक्षों के बीच कुशल संचार सुनिश्चित होगा।

xi. महिला मजिस्ट्रेट द्वारा बयान: महिलाओं के प्रति कुछ विशेष अपराधों के मामले में, पीड़िता के बयान, जहां तक संभव हो, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा तथा उसके अनुपस्थित होने की स्थिति में एक महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए, ताकि संवेदनशीलता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके तथा पीड़िताओं के लिए सहायक वातावरण बनाया जा सके।

xii. पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति: अभियुक्त और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट/आरोपपत्र, बयान, स्वीकारोक्ति और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है।

xiii. सीमित स्थगन: मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायालय अधिकतम दो स्थगन प्रदान करते हैं, जिससे समय पर न्याय सुनिश्चित होता है।

xiv. गवाह संरक्षण योजना: नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने, कानूनी कार्यवाही की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए गवाह संरक्षण योजना को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया गया है।

xv. जेंडर समावेशिता: "जेंडर" की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल हैं, जो समावेशिता और समानता को बढ़ावा देता है।

xvi. सभी कार्यवाहियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में: सभी कानूनी कार्यवाहियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करके, नए कानून पीड़ितों, गवाहों और अभियुक्तों को सहूलियत प्रदान करते हैं, जिससे पूरी कानूनी प्रक्रिया सुव्यवस्थित और त्वरित हो जाती है।

xvii. बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग: पीड़िता को अधिक सुरक्षा प्रदान करने तथा बलात्कार के अपराध से संबंधित जांच में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, पुलिस द्वारा पीड़िता का बयान ऑडियो-वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा।

xviii. पुलिस स्टेशन जाने से छूट: महिलाओं, 15 वर्ष से कम आयु के किशोरों, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा दिव्यांग या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन जाने से छूट दी गई है।

xix. महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध: विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों पर ध्यान देने तथा केंद्रित-सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बीएनएस में एक नया अध्याय जोड़ा गया है।

xx. जेंडर न्यूट्रल-अपराध: लिंग भेद किए बिना सभी पीड़ितों और अपराधियों को शामिल करते हुए महिलाओं और बच्चों के प्रति विभिन्न अपराधों को बीएनएस में जेंडरन्यूट्रल- बना दिया गया है।

xxi. सामुदायिक सेवा: नए कानूनों में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है। सामुदायिक सेवा के अंतर्गत, अपराधियों को समाज में सकारात्मक योगदान देने, अपनी गलतियों से सीखने और मजबूत सामुदायिक बंधन बनाने का मौका मिलता है।

xxii. अपराधों के अनुरूप जुर्माने: नए कानूनों के तहत, कुछ अपराधों के लिए लगाए गए जुर्मानों को अपराध की गंभीरता के अनुरूप बनाया गया है, ताकि निष्पक्ष और आनुपातिक दंड सुनिश्चित किया जा सके, भविष्य में अपराध करने से रोका जा सके तथा जनता का कानूनी प्रणाली में विश्वास कायम रह सके।

xxiii. सरलीकृत कानूनी प्रक्रियाएं: कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है ताकि उन्हें समझना और उनका पालन करना आसान हो सके, जिससे निष्पक्ष और सुलभ न्याय सुनिश्चित हो सके।

xxiv. त्वरित एवं निष्पक्ष समाधान: नए कानून मामलों के शीघ्र एवं निष्पक्ष समाधान का वादा करते हैं, जिससे कानूनी प्रणाली में विश्वास पैदा होता है।

******